

22/11/24 मिसल आज पेश हुई।

वकीलवारी गैर हाजिर।

वकीलवारी तथा वादीगण को रुक-रुक कर  
तीन-तीन बार आवाज लगाई गई तथा इनका  
ज्यादातर समय तक इंतजार बिना गया, फिर  
भी गैर हाजिर रहने के कारण प्रकल्प अदम  
हाजिर अदम पैरवी में खारीज बिदे जाने के  
आदेश दिने जाते हैं। निम्न मेरे हाथ सर-र-  
इजलास सुनाया गया। फावली कैसल शुमार  
होकर संख्या से कम होकर दाखिल फर  
है।

22/11/24

उप खण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला, भीलवाड़ा